

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 1 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन, 1 अद्द नाजायज चाकू बरामद—

कार्यवाही:— जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों में अपराधियो चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतूर्थ महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 20.11.2020 को 150 फुटा रोड शुलभ शौचालय के पास से एक अभियुक्त मुसाहिर पुत्र बशीलुद्दीन नि० जयपाल चौक शहीदनगर सतीश अग्रवाल स्वीटस थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद को चोरी के दो अद्द मोबाइल फोन मोटोरोला व आईटैल कम्पनी के व एक अद्द नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:—

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि यह मोबाइल फोन उसने 02 से 3 महीने पहले आनन्द विहार से चोरी किये है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:—

1. मुसाहिर पुत्र बशीलुद्दीन नि० जयपाल चौक शहीदनगर सतीश अग्रवाल स्वीटस थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोगो का विवरण:—

- 1- मु०अ०सं० 1374/2020 धारा 414 आईपीसी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
- 2- मु०अ०सं० 1375/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:—

1. एक मोबाइल फोन मोटोरोला आईएमईआई नं-0359296055059803
2. एक मोबाइल फोन आईटैल आईएमईआई नं०-911649558964500
3. एक अद्द नाजायज चाकू।



थाना कविनगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व एक जिन्दा कारतूस बरामद-

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा गश्त के दौरान स्वेदशी पॉलिटैक्स लि0 मुख्य गेट के सामने सर्विस रोड शास्त्रीनगर से एक अभियुक्त जितेन्द्र नागर पुत्र ओमप्रकाश निवासी सी 01 अशोक नगर थाना सिहानीगेट गाजियाबाद को दिनांक 19.11.2020 समय 16.35 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व एक जिन्दा कारतूस बरामद

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त जितेन्द्र नागर से पूछताछ पर पाया गया कि अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो पूर्व में भी थाना सिहानीगेट से जेल जा चुका है। अभियुक्त अपने पास नाजायज तमंचा इसलिए रखता है ताकि वह लोगो को डरा डमकाकर घटना कारित कर सके

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

जितेन्द्र नागर पुत्र ओमप्रकाश निवासी सी 01 अशोक नगर थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण -

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा नाजायज व एक जिन्दा कारतूस बरामद होना

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0-1012/19 धारा 323/504/506 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
 2. मु0अ0सं0-1619/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कविनगर जिला गाजियाबाद
- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।



थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार - थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.11.2020 को मैट्रो स्टेशन वैशाली के पास से 03 नफर अभियुक्त 1. अभिषेक पुत्र नरेश कुमार नि0 फ्लैट नं0 807 सरस्वती अपार्टमेन्ट सै04 वैशाली गा0बाद, 2. सुधांशु मीणा पुत्र सुन्दर लाल मीणा नि0 प्लाट नं0 42 सै0 2ए वैशाली कौशाम्बी गा0बाद, 3. हरजीत पुत्र अमरीख सिंह नि0 ए 3- 136 रोहिणी सै0 17 दिल्ली। सम्बन्धित मु0अ0सं0 586/20 धारा 147/148/308/326/504 भादवि थाना कौशाम्बी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण उपरोक्त को न्यायिक हिरासत मे भेजा जा रहा है।

अपराध कारित करने का तरीका-

एनसीआर क्षेत्र में लडाई-झगडा व मार-पीट करना ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण -

1. अभिषेक पुत्र नरेश कुमार नि० फ्लैट नं० 807 सरस्वती अपार्टमेन्ट सै०4 वैशाली गा०बाद ।



2. सुधांशु मीणा पुत्र सुन्दर लाल मीणा नि० प्लाट नं० 42 सै० 2ए वैशाली कौशाम्बी

गा०बाद ।

3. हरजीत पुत्र अमरीख सिंह नि० ए 3- 136 रोहिणी सै० 17 दिल्ली ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास का विवरण -

मु०अ०सं० 586/20 धारा 147/148/308/326/504 भादवि थाना कौशाम्बी गाजियाबाद ।

व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।

थाना लोनी पुलिस ने 1 अभियुक्त को 250 ग्राम एल्प्राजोलम नशीले पाउडर सहित किया गिरफ्तार-

थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त मोहित पुत्र विजय साहनी निवासी कृष्णा विहार बंधला लोनी गा०बाद को 250 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाउडर के साथ राम बिहार शराब के ठेके के पास से दिनांक 19.11.2020 गिरफ्तार किया गया है । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

मोहित पुत्र विजय साहनी निवासी कृष्णा विहार बंधला लोनी थाना लोनी गा०बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण अभियुक्त कलीम-

मु०अ०सं०-1003/2020 धारा 8/21 NDPS Act थाना लोनी गा०बाद

बरामदगी का विवरण:-

1. 250 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाउडर नाजायज बरामद



थाना मसूरी पुलिस द्वारा 01 वाछित अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही -श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी द्वारा अपराधो की रोकथाम व तलाश वाछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री नीरज कुमार जादौन के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री महिपाल सिंह के पर्यवेक्षण में दि0 20.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब उ0नि0 श्री जसवन्त सिंह द्वारा मय हमराही के नाहल गावं में गस्त व तलाश वाछित अपराधी के दौरान मुकदमें वाछित अभियुक्त गुलफाम पुत्र फरियाद निवासी नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद को ग्राम नाहल से समय करीब 10.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 618/20 धारा 323/452/504/506 भादवि व 3(2)5क SC/ST पंजीकृत है व अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध थाना मसूरी पर 08 मुकदमें व थाना कविनगर पर 02 मुकदमें पंजीकृत है जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

(1) गुलफाम पुत्र फरियाद नि0 ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद ।

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0618/20 धारा 323/452/504/506 भादवि व 3(2)5क SC/ST थाना मसूरी
2. मु0अ0सं0 429/2016 धारा 4/25 ए.एक्ट थाना मसूरी
3. मु0अ0सं0 645/16 धारा 379/411 भादवि थाना मसूरी
4. मु0अ0सं0646/2016 धारा 4/25 ए एक्ट थाना मसूरी
5. मु0अ0सं019/2017 धारा 457/380403 भादवि थाना मसूरी
6. मु0अ0सं099/2018 धारा 457/380/411 भादवि थाना मसूरी
7. मु0अ0सं0102/2018 धारा 4/25 ए एक्ट थाना मसूरी
8. मु0अ0सं066/2018 धारा 457/380/411 भादवि थाना मसूरी
9. मु0अ0सं01253/2020 धारा 8/18 एन0डी0पी0एस0एक्ट थाना कविनगर
10. मु0अ0सं01255/2020 धारा 4/25 ए एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद



श्री नरेश त्यागी की हत्या में शामिल 02 शूटर सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार,

कब्जे से आलाकत्ल पिस्टल तमंचा व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद

दिनांक 09.10.2020 को श्री नरेश त्यागी की सुबह के समय करीब 5.45 बजे स्कूटी सवार 02 अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना सिहानी गेट पर मु0अ0सं0 1600/20 धारा 302/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था। घटना के सफल अनावरण के लिये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदि के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया जिससे अभियुक्त गणों के हुलिया, वाहन व आने व जाने के रुट का निर्धारण हुआ। सुरागरसी पतारसी व तकनीकी सूचनाओं के आधार पर प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट मय क्राइम ब्रांच आज दिनांक 20-11-2020 को अभियुक्त विपिन शर्मा के आवास न्यू अशोक नगर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त विपिन शर्मा कुछ समय पहले गाजियाबाद की तरफ गया है तत्काल जनपद गाजियाबाद की ओर प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट मय टीम खाना लेकर रोटरी गोल चक्कर के पास स्कूटी सवार 02 अभियुक्त गण विपिन शर्मा व अर्पण चौधरी को गिरफ्तार किया गया। यहां यह बताना समीचीन होगा कि दिनांक 18.11.2020 को घटना का षडयंत्रकारी अभियुक्त जितेन्द्र त्यागी पुत्र रामनिवास त्यागी पकड़ा गया था। जितेन्द्र त्यागी के बयान के आधार पर उसके मिलने जुलने वाले लोग व 500 से अधिक मोबाइल नम्बरों को खंगाला गया साथ ही सुरागरसी पतारसी हुलिया आदि व जितेन्द्र के बयान के आधार पर ज्ञात हुआ कि विपिन शर्मा व अर्पण चौधरी द्वारा घटना कारित की गयी थी। विपिन, जितेन्द्र त्यागी के सम्पर्क में पूर्व से था जिसकी पुष्टि सर्विलांस से हुई है। तीसरे अभि0 मनोज कुमार को विपिन के बयान के आधार पर उसके घर सद्दीक नगर से गिरफ्तार किया गया। इनका पूर्व में भी वृहद आपराधिक इतिहास है-

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विपिन शर्मा पुत्र मुन्नालाल शर्मा नि0 सौंदा रोड थाना मादीनगर

1. मु0अ0सं0 140/18 धारा 394/411 भादवि थाना परतापुर जनपद मेरठ
2. मु0अ0सं0 246/18 धारा 414 भादवि थाना दौराला जनपद मेरठ
3. मु0अ0सं0 262/19 धारा 307 भादवि थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 263/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 1600/20 धारा 302, 120 बी भादवि थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद
6. मु0अ0सं0 1858/20 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अर्पण चौधरीपुत्र सतीश चौधरी नि0 गांव खुशहाल थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर

1. मु0अ0सं0 182/ 12 धारा 302 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 198/12 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 199/12 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।
4. मु0अ0सं0 241/12 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।
5. धारा 302 भादवि वर्ष 2018 थाना बडौत जनपद बागपत।

- 6.मु0अ0सं0 1600/20 धारा 302,120 बी भादवि थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद
- 7.मु0अ0सं0 1857/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद
- 8.धारा 302 भादवि वर्ष 2013 थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद ।
- 9.मु0अ0सं0 228/16 धारा 307/34/506 भादवि थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद ।
- 10.मु0अ0सं0 229/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद

तीसरे अभि0 मनोज के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-अभियुक्त गणो ने पूछताछ में बताया कि जितेन्द्र त्यागी से हमारी जान पहचान है जितेन्द्र त्यागी से हमारा मिलना था जितेन्द्र त्यागी ने बताया था कि हमारा 01 व्यक्ति से विवाद चल रहा है जिसकी तुम लोगो को हत्या करनी है पूरी डील 02 लाख रुपये में तय हुई 50 हजार रुपये जितेन्द्र ने हमें एडवांस दिए तथा बाकी रुपये हत्या करने के बाद लखनऊ से आकर देने की बात कही थी घटना के 01 – 02 दिन पहले जितेन्द्र त्यागी ने पिस्टल व तमंचा मनोज कुमार पुत्र ब्रज भूषण नि0 सद्दीक नगर थाना सि0गेट के द्वारा हमें दिलवाया था जितेन्द्र त्यागी द्वारा मृतक नरेश की बिना बताये पहचान करवायी थी और बताया था कि सुबह टारगेट 05 :30 से 06 :00 am के बीच लोहिया नगर में पार्क में टहलने जाता है। दिनांक 09-10-2020 को मैं व अर्पण चौधरी स्कूटी जिसका नंबर UP14 CZ 7446 से दिल्ली से एलीवेटेड रोड होते हुए घटनास्थल के समीप चाय की दुकान के पास खड़े थे मृतक सुबह जब टहलने निकले तो हम लोग उनके पीछे हो लिये। करीब 5.45 बजे मैंने (विपिन ने) नरेश त्यागी को अपने पास लिए हुए 315 बोर के तमंचे से गोली मारी थी तथा अर्पण चौधरी ने .30 बोर के पिस्टल से 05 गोलियां मारी थी। उसके पश्चात स्कूटी से उसी समय सुबह सुबह ही एलीवेटेड रोड होते हुए दिल्ली चले गये थे। दि0 18/11/20 को जितेन्द्र त्यागी को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। हमारे पास जो रुपये बरामद हैं वो नरेश त्यागी की हत्या के लिए एडवांस के रूप में लिए 50000 रुपये में से बचे हुए हैं। शेष रुपये हमने खर्च कर लिए हैं। इसीलिए आज सुबह हम लोग मनोज कुमार पुत्र ब्रजभूषण के घर बाकी पैसे मिलने की उम्मीद से जा रहे थे, ताकि पैसे लेकर हम लोग उत्तराखंड जाकर छिप जाते। जब मामला शांत हो जाता तब वापस आ जाते। हमारे पास बरामद तमंचा, पिस्टल व स्कूटी नरेश त्यागी की हत्या में प्रयुक्त तमंचा, पिस्टल व स्कूटी है। जितेन्द्र त्यागी द्वारा हमें ये नहीं बताया गया था कि जिनकी हत्या कारित करनी है वह विधायक के मामा हैं।

स्कूटी विपिन शर्मा की बहन ज्योति शर्मा के नाम पर है जिसे विपिन शर्मा स्वयं चला रहा था और पीछे लाल जूते पहने हुये अर्पण चौधरी बैठा हुआ था।

विवेचनात्मक प्रगति:-

मु0अ0सं0 1600/20 धारा 302 भादवि थाना सिहानीगेट पर पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट द्वारा प्रारम्भ की गयी। विवेचना के क्रम में जितेन्द्र त्यागी का नाम प्रकाश में आया। जितेन्द्र त्यागी को दिनांक 18.11.2020 को गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग में जितेन्द्र के बयान के आधार पर 120बी भादवि की बढोत्तरी की गयी थी। जितेन्द्र त्यागी ने पूछताछ में बताया था कि मैंने व गिरीश ने परिवारिक व अन्य रंजिश के तहत षडयंत्र रचते हुये विपिन शर्मा के माध्यम से नरेश त्यागी की हत्या करवा दी थी। जितेन्द्र त्यागी द्वारा बताये गये सभी तथ्यों को विवेचना में शामिल कर तस्दीक किया गयाजा रहा है। और आज दिनांक 20/11/20 को शूटर विपिन शर्मा व अर्पण चौधरी को समय 02.20 बजे स्थान रोटरी गोल चक्कर से गिरफ्तार किया गया। तीसरे अभि0 मनोज कुमार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता अभियुक्त गण-

1. विपिन शर्मा पुत्र मुन्नालाल शर्मा नि0 सौंदा रोड थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद
2. अर्पण चौधरी पुत्र सतीश चौधरी नि0 गांव खुशहाल थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर
3. मनोज कुमार पुत्र बृजभूषण नि0 सद्दीक नगर थाना सिहानी गेट गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

1. आलाकतल एक अदद .30 बोर पिस्टल मय 02 जिन्दा कारतूस
2. आलाकतल एक अदद .315 बोर तमंचा मय 03 जिन्दा कारतूस
3. एक अदद रिवाल्वर .38 बोर
4. घटना मे प्रयुक्त स्कूटी UP14 CZ 7446
5. कुल 2350 रूपये नगद
6. 02 अदद मोबाइल

नोट- बरामद हुई स्कूटी व अभि0गणों के कपडे /हुलिया/कद काठी सीसीटीवी फुटेज(स्नैपशॉट) से मेल खाते है।

